

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उ०प्र०।
- 2- समस्त अपर मुख्य अधिकारी/प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायतें, उ०प्र०।

पंचायती राज अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 2018

विषय- प्रदेश की जिला पंचायतों में रिक्त अपर मुख्य अधिकारी का प्रभार अन्य अधिकारियों को दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2625जी/33-2-92, दिनांक 11 मई, 1992 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह निर्देश दिए गये हैं कि ऐसे अभियंता/कार्य अधिकारी, जिन्हें अपर मुख्य अधिकारी के पद का प्रभार नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत अल्प अवधि के लिए दिया जाता है, तो उन अधिकारियों द्वारा पत्र व्यवहार करते समय अपने मूल पदनाम के साथ "कृते अपर मुख्य अधिकारी" शब्द का प्रयोग किया जाय, किन्तु उक्त निर्देशों का वर्तमान में अनुपालन नहीं हो रहा है तथा अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों द्वारा अपर मुख्य अधिकारी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यह अत्यन्त खेदजनक है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे अभियंता/कार्य अधिकारी, जिन्हें नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत अपर मुख्य अधिकारी पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वे शासन एवं अन्य कार्यालयों से पत्र व्यवहार करते समय अपना पूरा नाम, मूल पद नाम के साथ प्रभारी (जिस पद का प्रभार है) को स्पष्ट रूप से लिखना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर शासन द्वारा इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।  
संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

जितेन्द्र बहादुर सिंह  
विशेष सचिव।

संख्या - बी/38-2-12

श्री,

श्री बीडी ज्ञादव  
उप सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेतारों,

- 1- समस्त अध्यक्ष  
जिला परिषद, उत्तर प्रदेश ।
- 2- समस्त मुख्य/जिला विकास अधिकारी  
उ० प्र० ।

संवायती राज अनुभाग-2

लकनऊ:

दिनांक: 11 मई, 1992

विषय:- जिला परिषदों में अपर मुख्य अधिकारी का कार्य प्रभार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला परिषद में अपर मुख्य अधिकारी का पद रिक्त होने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी का कार्य प्रभार केन्द्रीय संक्राम्य स्तर के कार्य अधिकारी या अभिज्ञा (कर अधिकारी व चिन्तित्साधिकारी को छोड़कर) तत्समय जो वरिष्ठ हो, को अल्प अवधि के लिए सौंपा जाता है । ऐसे अधिकारियों को अपर मुख्य अधिकारी का अपने मूल पद के कार्य के अतिरिक्त कार्यभार काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत सौंपा जाता है जिससे कि लिए ऐसे अधिकारियों को कोई लाभ अनुमन्य नहीं होता । लेकिन यह देखने में आया है कि इन अधिकारियों द्वारा पत्रव्यवहार करते समय "अपर मुख्य अधिकारी" के पदनाम का प्रयोग किया जाता है जो निरर्तित आपत्तजनक है । अस्तु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ऐसे अधिकारियों को यह निर्देश देने का कष्ट करें कि वे शासन व अन्य कार्यालयों से पत्रव्यवहार करते समय पदनाम के रूप में "अपर मुख्य अधिकारी" के स्थान पर अपने मूल पदनाम के साथ "अपर मुख्य अधिकारी" शब्द का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करें ।

कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भादोय

बीडी ज्ञादव

उप सचिव ।

21

—2—

संख्या-2625 बी/33-2-92 तद्दिनांक ।

प्रतीलिपि निम्नीलिखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, उ०प्र० ।
- 2- समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला परिषद, उ० प्र० ।

आज्ञा से,

~~क००००००~~

। लीडरियाय ।

० उप सचिव

५३५

५३५